झारखण्ड सरकार

कार्यालयः– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल।

वन भवन–1, हजारीबाग, 825301 (झारखण्ड)

E-mail: dfo-hazaribagheast@gov.in; Telefax No. 06546-272461

पत्रांक : दिनांक :

सेवा में,

Manager (Construction)
Gail (India) Limited,
5th Floor, North Wing at Eastern Block,
Mecon Head Office Complex,
Doranda, Ranchi, Jharkhand.

विषय :– **हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल के क्षेत्राधीन प्राकृतिक गैस पाईपलाईन (OFC) का जगदीशपुर (उत्तर प्रदेश) से हल्दीया (पश्चिम बंगाल) तक के निर्माण के क्रम मे अपयोजित होने वाले वन भूमि का स्थलीय निरीक्षण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है, कि हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल के क्षेत्राधीन Natural Gas Pipeline along with Optical Fiber Cable (OFC) from Jagdihspur in Uttar Pradesh state to Haldia in West Bengal through Bihar, Jharkhand and Odisha state के निर्माण हेतु कुल 113.3603 हे0 (हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल अन्तर्गत 13.2474 हे0) वनभूमि अपयोजन हेतु प्राप्त प्रस्ताव का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 19.12.2018 को किया गया, निरीक्षण के क्रम आपके द्वारा प्राधिकृत Consulting Agency के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रस्ताव के साथ संलग्न मानचित्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि विषयगत परियोजना इस प्रमण्डल के क्षेत्राधीन कुल 11 ग्रामों से होकर गुजरेगी तथा उक्त 11 ग्रामों में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल 284 पीलर स्थापित कर अपयोजित होनेवाली वनभूमि को चिन्हित किया जाएगा। साथ ही अपयोजित होने वाली वन भूमि पर अवस्थित वृक्षों से संबंधित उपलब्ध कराई गई गणना सूची के अनुसार उक्त वृक्षों को चिन्हित किया जाना है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कौन सा वृक्ष कौन से व्यास का है जिसका पातन/प्रतिस्थापन किया जाना है।

प्रस्ताव में वर्णित मानकों के संबंध में स्थल पर उपस्थित आपके द्वारा प्राधिकृत Consulting Agency के प्रतिनिधि एवं वनकर्मियों से पूछ–ताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि अपयोजित होने वाले किसी भी पी0एफ0 में मानचित्र के अनुसार पीलर की स्थापना नहीं की गई। तथा गणना सूची के अनुसार वृक्षों को चिन्हित भी नहीं किया गया है।

तदोपरान्त् निरीक्षण का कार्य प्रारम्भ किया गया, स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि अपयोजित होने वाली वनभूमि पर मात्र एक या दो पीलर का स्थापना किया गया है जिसमें जी0पी0एस0 संख्या एवं पीलर संख्या भी अंकित नहीं पाया गया। उदाहरणस्परूप बुढ़ाचांच पी0एफ0 में कुल 14 पलीर का स्थापना किया जाना था परन्तु स्थल पर मात्र दो पीलर की स्थापना की गई है स्थापित पीलर भी निर्धारित मानकों के बिना अपूर्ण है।

निरीक्षण क्रम में यह भी पाया गया कि अपयोजित होने वाले वनभूमि पर अवस्थित पातित होने वाले वृक्षों का Numbering भी नहीं किया गया है, बल्कि वृक्षों पर मात्र Paint से चिन्हित किया गया है, जिसके कारण वृक्षों के Height एवं Girth का मिलान नहीं किया जा सका। वस्तूतः निरीक्षण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।

आपके द्वारा प्राधिकृत Consulting Agency के प्रतिनिधि को उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण एक सप्ताह के अन्दर करने हेतु निर्देश दिया गया तथा उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि सरकार की यह महात्वाकंक्षी योजना है जिसे ससमय पूर्ण किया जाना आवश्यक है। फलस्वरूप त्रुटियों के निराकरण हेतु स्थानीय वनकर्मी से भी मदद ली जाय ताकि उपरोक्त कार्य बिना रूकावट के निर्बाध रूप से समय पर पूर्ण हो सके।

वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि आपके द्वारा केवल प्रस्ताव में अभिलेखों को मात्र संलग्न कर दिया गया है लेकिन उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार स्थल पर कोई भी तैयारी नहीं की गई है जो काफी खेद का विषय है। भविष्य में पूरी तैयारी के उपरान्त ही अद्योहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय ताकि निरीक्षण कार्य पूर्ण किया जा सके।

अतः विषयक निरीक्षण के आलोक आपके द्वारा समर्पित प्रस्ताव मूल रूप में वापस करते हुए सूचित करना है कि उपरोक्त उल्लेखित त्रुटियों का निराकरण एक सप्ताह के अन्दर करते हुए संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय कार्यलय को समर्पित करना सुनिश्चित करें, ताकि सरकार के इस महात्वाकांक्षी योजना को ससमय पूर्ण करने हेतु स्थलीय निरीक्षण के लिए अगली तिथि निर्धारित किया जा सके।

आपका विश्वासी

ह0/–

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल।

ज्ञापांक 4674 **दिनांक** 20.12.18

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/18

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल।

20.12.18